एक नजर में

फील्ड वसूली बैठक संपन्न, रबी ऋण वितरण व वसूली की समीक्षा

आलीराजपुर। जिला सहकारी बैंक झाबुआ एवं जिला आलीराजपुर के फील्ड स्टाफ की संयुक्त बैठक जिला सहकारी बैंक के नव नियुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आरजू इकबाल खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई।इस दौरान उन्होंने जिले की 26 सहकारी समितियों की रबी ऋण वितरण, ऋण वसूली एवं ईआरपी एंट्री की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान 31 दिसंबर 2025 तक के लिए लक्ष्य आवंटित किए गए।इस दौरान आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रमों का समापन भी किया गया। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के दौरान जिला आलीराजपुर की 26 समितियों द्वारा 638 नवीन सदस्यों को जोड़ा गया तथा उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए गए। बैठक में सहायक आयुक्त सहकारिता श्री जी.एल. सोलंकी, नोडल अधिकारी श्री हर्षवर्धन गुप्ता, प्रभारी फील्ड श्री राजेश राठौड़ सहित जिले के सभी समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

सोंडवा में विधायक ट्रॉफी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौहान ने किया

आलीराजपुर । सोंडवा में आयोजित विधायक ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि विधायक ट्रॉफी जैसे आयोजन ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं तथा युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हजरी बाई खरत , जनप्रतिनिधि श्री जयपाल खरत ,श्री मांगीलाल दादा , श्री विक्रम भयडिया सहित अन्य नागरिक गण एवं खिलाड़ी उपस्थित थे ।

सुशासन दिवस पर शपथ कार्यक्रम आयोजित

आलीराजपुर । जिले में सुशासन दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को सुशासन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने कहा कि सुशासन का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनकल्याणकारी प्रशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी से अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं निष्ठा से पालन करने तथा आमजन को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने का आह्वान किया। जिला मुख्यालय के साथ ही जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों पर भी सुशासन शपथ कार्यक्रम के तहत उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई तथा सभी ग्राम पंचायतों पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

तनिष्क को राष्ट्रीय शॉटगन चैम्पियनशिप में रजत

महू. नगर के तनिष्क जायसवाल ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो महत्वपूर्ण पदक जीते. यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें तनिष्क ने राइफल इवेंट्स में भाग लिया. तनिष्क ने 10 मीटर एयर राइफल (पुरुष) व्यक्तिगत श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की और ओपन तथा सिविलियन दोनों श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने ओपन पुरुष श्रेणी में 630 .7 का स्कोर करते हुए अखिल भारतीय रैंकिंग में 9वां स्थान प्राप्त किया. इसके साथ ही सिविलियन पुरुष श्रेणी में तनिष्क ने दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. उनके कोच इमरान हसन खान ने तनिष्क की मेहनत और समर्पण की सराहना की और कहा कि यह तनिष्क की कड़ी मेहनत और अनुशासन का परिणाम है. मैं उनके प्रदर्शन से बहुत गर्वित हूं. तनिष्क ने प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन के बारे में कहा कि मुझे अपने कोच इमरान हसन खान का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन और प्रेरणा दी. इस उपलब्धि से तनिष्क ने ना केवल अपनी मेहनत और प्रशिक्षण को मान्यता दिलाई, बल्कि मध्य प्रदेश को भी गर्व महसूस कराया. उनकी यह सफलता शूटिंग के क्षेत्र में राज्य की नई पहचान बनेगी.

कलश यात्रा के साथ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ

महू. महू ग्राम एवं डोंगरगांव स्थित ओल्ड एबी रोड पर राधा स्वामी आश्रम के समीप चौहान परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा एवं भागवत शोभायात्रा के साथ हुआ. प्रातः 8 .30 बजे निकली कलश यात्रा में चौहान परिवार के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लेकर शामिल हुए, वहीं महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभायात्रा की भव्यता बढ़ाई. कलश यात्रा डोंगरगांव के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची. कथा स्थल पर पहुंचने के पश्चात व्यासपीठ की विधिवत पूजा-अर्चना चौहान परिवार एवं अन्य श्रद्धालुओं द्वारा की गई. इसके उपरांत पं. सत्येंद्र कृष्ण महाराज (वृंदावन) द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया. अपने प्रवचन में उन्होंने श्रीमद् भागवत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा से मानव जीवन में भक्ति, सदाचार एवं संस्कारों का विकास होता है. आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 12.30 बजे से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 29 दिसंबर 2025 को महाप्रसादी के साथ किया जाएगा. कथा के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.

मामाजी महेश कुमार पाल को दी संगीतमय श्रद्धांजलि

महू. जनता कांग्रेस महासचिव अमित वर्मा के मामाजी स्व. महेश कुमार पाल को निर्वाण के एक वर्ष पूर्ण होने पर संगीतमय बरसी कार्यक्रम आयोजित कर आत्मीयजनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई. स्थानीय महाराष्ट्र समाज धर्मशाला में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में रवि चौहान ने भावभीने गीतों से समां बांध दिया. वहीं, दूसरी ओर परिवार जनों के साथ लॉरेंस फ्रांसिस, विनोद लाल, राकेश पाल, प्रहलाद शर्मा, सुभाष यादव, मिलिंद मजूमदार, राधे कौशल, विजय खंडेलवाल, मोंटू यादव, परमानंद त्रिपाठी, दीपक परमार, पीडी वर्मा, अजय कौशल, मीता जोशी आदि सैकड़ों स्नेहीजनों ने श्रद्धांजलि दी.

कोतवाली पुलिस ने 13 .51 लाख रु. की शराब जब्त कर आरोपी को दबोचा

▶ **आलीराजपुर पुलिस का अवैध शराब तस्करी पर ऐतिहासिक प्रहार**

आलीराजपुर। जिले में अवैध शराब के कारोबार पर निर्णायक प्रहार करते हुए आलीराजपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के सख्त निर्देशों पर 17 अक्टूबर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने ?13,51,680 की अवैध शराब एवं वाहन जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

24 दिसम्बर 2025 को कोतवाली थाना पुलिस कस्बा एवं ग्रामीण क्षेत्र में गश्त कर रही थी, इसी दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की महिन्द्रा पिकअप मेक्स वाहन, जिसके सामने *'JAY BABARI'* लिखा है, ग्राम इन्दरसिंह चौकी पानवई फलिया नाले के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर गुजर रही है।

सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की। संदिग्ध वाहन आते ही रोका गया, चालक पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम समीर पिता मुनीर मोहम्मद (42 वर्ष), निवासी शिवाजी मार्ग, डॉन बॉस्को रोड, आलीराजपुर बताया।

वाहन की तलाशी लेने पर 157 पेटी अवैध बीयर शराब मिली, जिसमें कुल 1884 बल्क लीटर शराब पाई गई। शराब की अनुमानित कीमत ?4,51,680 आंकी गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जिसकी कीमत लगभग ?9 लाख है, उसे भी जब्त किया गया। इस प्रकार कुल जप्त मशरूका का मूल्य ?13,51,680 रहा।

आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 554/25, धारा 34(2) एवं 46 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है।पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर से चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक — 440 प्रकरणों में 42,347 लीटर अवैध शराब (कीमत ?1.80 करोड़) 13 वाहन (कीमत ?85.55 लाख) जब्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2025 में अब तक — 1650 प्रकरणों में 1,11,180 लीटर अवैध शराब (कीमत ?4.40 करोड़) 36 वाहन (कीमत ?2.67 करोड़) जब्त किए जा चुके हैं।पुलिस अब इस जब्ती से जुड़े स्रोत और आपूर्ति श्रृंखला की भी गहन जांच कर रही है, जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। एसपी रघुवंश सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी— 'जो भी व्यक्ति शराब या ताड़ी के अवैध परिवहन, भंडारण या विक्रय में लिप्त पाया जाएगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

कलेक्टर ने जिला बदर के 16 प्रकरणों में सूचना पत्र जारी किया

झाबुआ, । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना द्वारा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 8 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही हेतु सूचना पत्र जारी किए गए हैं। यह कार्यवाही असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है।

जारी सूचना पत्रों के अंतर्गत थाना पेटलावद क्षेत्र के श्री कैलाश उर्फ भोला पिता भेरूलाल भाटी निवासी पेटलावद, श्री रामुनाथ पिता नाथुनाथ कालबेलिया निवासी बामनिया, श्री मांगीलाल पिता शोभाराम गरवाल निवासी उण्डवा तथा श्री आरिफ पिता मोहम्मद शब्बीर भाटी निवासी पेटलावद शामिल हैं। थाना झाबुआ क्षेत्र से श्री भारत उर्फ भारतसिंह पिता दुबलिया भूरिया निवासी कालियाबड़ा एवं श्री फकरू पिता मेसु बबेरिया निवासी छालकिया को सूचना पत्र जारी किए गए हैं।

> इसी प्रकार थाना मेघनगर क्षेत्र से विशाल पिता राजेश डामोर निवासी मेघनगर,सुदर्शन पिता देवा मचार निवासी बेडावली तथा श्री अरुण पिता दयाल ओहारा निवासी मेघनगर, थाना काकनवानी क्षेत्र से श्री दिनेश पिता सोमजी उर्फ हुमजी भूरिया निवासी काकनवानी एवं श्री दलसिंह उर्फ दलसुका पिता मुनसिंह वसुनिया निवासी ईटावा, थाना रायपुरिया क्षेत्र से श्री राजू उर्फ राजेन्द्र पिता मांगीलाल राठौर निवासी रायपुरिया तथा थाना थांदला क्षेत्र से श्री मुकेश पिता भीमा मोरी निवासी शिवगढ़ महुड़ा एवं श्री अशोक पिता मांगीलाल झोरिया निवासी करंजपाड़ा को नोटिस जारी किए गए हैं।

पर्यावरण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

आलीराजपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में शासकीय हाईस्कूल राजावाट एवं एकीकृत शासकीय बा.उ.मा.वि. नानपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक साक्षरता शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीयों द्वारा विद्यार्थियों को *'Protect Today, Secure Tomorrow'* पैन-इंडिया पर्यावरण विधिक साक्षरता एवं सामुदायिक संरक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तेजी से बढते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। स्वच्छ वायु, जल और हरित क्षैत्रों की कमी मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है क्यों कि यह न केवल मनुष्यों और फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, बल्कि वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां सुनिश्चित करता है। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जल और ऊर्जा की बचत करना जैसे छोटे-छोटे कदम भी बड़ेबदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को बाल विवाह, यातायात नियम, साइबर क्राइम, नशा उन्मूलन, नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना आदि की भी जानकारी दी गई।

इस दौरान संस्था प्राचार्य, शिक्षक गण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजन

▶ **उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की अपील**

आलीराजपुर । राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह का आयोजन आज जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एवं प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज गरवाल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राजेश वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी गड़रिया, नाप-तोल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर नीतू माथुर ने कहा कि उपभोक्ता का अर्थ उपभोग करने वाला व्यक्ति है और उपभोग तब होता है जब वस्तुओं का क्रय किया जाता है। वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति में जैसे-जैसे उपभोग की दर बढ़ी है, उसी अनुपात में मिलावट की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। इसी कारण उपभोक्ताओं के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई और उनके हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का यह अधिकार है कि उसे क्रय की गई वस्तु निर्धारित गुणवत्ता और उचित मूल्य पर ही उपलब्ध हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो उपभोक्ता को शासन के समक्ष शिकायत करनी चाहिए, जिस पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने आगे बताया कि आलीराजपुर एक जनजातीय बहुल जिला है जहां चांदी की वस्तुओं का अधिक उपयोग किया जाता है। ऐसे में नागरिकों को चांदी की वस्तुएं हॉलमार्क देखकर ही खरीदनी चाहिए तथा उसका पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए। उन्होंने खुले में बिकने वाली खाद्य सामग्री के सेवन से बचने,आईएसआई मार्क युक्त पैकेटबंद गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं ही खरीदने तथा ढकी हुई खाद्य सामग्री ही क्रय करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के जागरूक रहने से ही मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सकती है और उपभोक्ताओं के हितों की प्रभावी रूप से रक्षा संभव है।

बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

आलीराजपुर, 24 दिसंबर 2025 । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शासकीय महाविद्यालय में बाल विवाह रोकथाम जागरूकता कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य रेमसिंह डोडवा के द्वारा कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, के अंतर्गत विवाह के समय लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, नाबालिग उम्र में विवाह करने से उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इत्यादि रूप घातक होता है। बाल विवाह करने वाले को 02 वर्ष का कारावास अथवा 1 लाख रूपये का जूर्मना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह कानूनन अपराध है, इसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रभावी है। बाल विवाह होने की स्थिति में शिकायत किसे कि जानी है, के बारे में बालक एवं बालिकाओ को चाइल्ड हेल्प लाईन 1098, महिला हेल्पलाईन 181, पुलिस हेल्पलाईन 112 के बारे में जानकारी दी गई।

इससे पूर्व विद्यालयों बोरकुआ, सरप्रताप आलीराजपुर, बोरखड़, कवठु, बोराना, वड़ी, उमराली, बहारपुरा आलीराजपुर, बुनीयादी विघालय आलीराजपुर में आयोजन किया गया।

एक नजर में ▶ **रोल प्रेक्षक वंदना वैद्य की अध्यक्षता में हुई**

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में एसआईआर से संबंधित कार्या की समीक्षा

आलीराजपुर । रोल प्रेक्षक सुश्री वंदना वैद्य की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में आलीराजपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 191-आलीराजपुर एवं 192-जोबट के अंतर्गत फोटो निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने एसआईआर 2026 लागू होने के बाद से प्रारूप प्रकाशन की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। साथ ही मतदान केंद्रों से संबंधित जानकारी, बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की स्थिति, एसआईआर 2026 के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों, विशेष प्रयासों एवं नवाचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर निरंतर ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा भ्रमण किया गया तथा बीएलओ द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत) मतदाताओं का वाचन किया गया।

इस दौरान सुश्री वैध ने उपस्थित राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से एसआईआर 2026 के विषयों पर चर्चा की साथ ही उनके द्वारा चाही गई जानकारी पर विचार विमर्श भी किया। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन द्वारा की गई एसआईआर 2026 की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया साथ ही समस्त अधिकारियो एवं बीएलओं का आभार व?यक?त करते हुए कहा कि समस्त अधिकारियों द्वारा सक्रियाता से इस कार्य को पूर्ण ईमानदारी और लगन से पूरा किया।

बैठक में रोल प्रेक्षक सुश्री वंदना वैद्य ने निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई। इस दौरान मान?यता प्राप?त राजनैतिक दल से श्री राजेन?द्र मोदी , श्री शाबीर खान,श्री राकेश जमरा सहित निर्वाचन अधीक्षक श्री सरदार चौहान सहित संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।